



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1939 (श0)
(सं0 पटना 886) पटना, वृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2017

अधिसूचना सं0-28/2017-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 191, दिनांक 21 सितम्बर— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा बिहार गजट में एस०ओ० 67 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं० 2/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं; यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) सूची में,-

- (i) क्रम संख्या 27, 29, 45, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 101, और 108 के स्तंभ (3) में "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो" शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर "जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड

नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं० 102 में, कॉलम (2) में प्रविष्टि "2301,2302,2308,2309", प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) क्रम संख्या 102 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

| | | |
|-------|------|--------------------|
| "102क | 2306 | कॉटन सीड आयल केक"; |
|-------|------|--------------------|

(iv) क्रम संख्या 130 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,अर्थात्:-

| | | |
|-------|----------|--|
| "130क | 50 से 55 | खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एवं केवीआईसी द्वारा प्रमाणित संस्थानों/दुकानों, के द्वारा बेचे गए खादी वस्त्र"; |
|-------|----------|--|

(v) क्रम संख्या 135 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी,:-

| | | |
|-------|------|---------------------------|
| "135क | 6913 | मिट्टी से बनी मूर्तियां"; |
|-------|------|---------------------------|

(vi) क्रम संख्या 138 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "हाथ से धागा कताई के चरखे, अम्बर चरखा सहित", प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(vii) क्रम संख्या 143 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर , "अनुबंध II में उल्लिखित स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र", को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(viii) क्रम संख्या 144 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर "सरकंडे से मोड़े, फूलझाड़ू या झाड़ू, जो कि सीकों या अन्य वनस्पतियों से बने हों, इकट्ठे बांधे गए हों, जिनमें हत्थे लगे हों या नहीं ", को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) स्पष्टीकरण, खंड (ii) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(ii) (क) वाक्यांश "ब्रांड नाम" का अर्थ ब्रांड नाम या व्यापार का नाम है, जिसका अर्थ है, नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है। या ऐसे व्यक्ति के पहचान के किसी भी संकेत के बिना या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच व्यापार के क्रम में एक कनेक्शन को इंगित करने के लिए या ऐसा करने के लिए।

(ख) "पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड

(ग) अनुच्छेद 2 के बाद, निम्नलिखित अनुबंधकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“अनुबंध ।

किसी ब्रांड नाम पर कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग के लिए

(क) ऐसा व्यक्ति जो कि यूनिट कंटेनर में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो, जिसे पर ब्रांड नेम छपा हो, क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने कार्रवाई योग्य दावे या अपरिवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो, जिस पर, प्रत्येक यूनिट कंटेनर पर ब्रांड नाम छपा हो, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही में यह मुद्रित कराएगा कि ऐसे यूनिट कंटेनर पर मुद्रित स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथा परिभाषित ब्रांड नाम के संबंध में उसने कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है ।

अनुबंध II

| स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची | |
|--|-------------|
| 1. | बुलबुल तरंग |

| | |
|-----|------------------------------|
| 2. | दोतार, दोतोरा या दोतारा |
| 3. | एकतारा |
| 4. | गटचू वाद्य या झालारी |
| 5. | गोपीचंद या गोपीयंत्र या खामक |
| 6. | गोटुवध्यम या चित्रवीणा |
| 7. | काथो |
| 8. | सरोद |
| 9. | सितार |
| 10. | सुरबहार |
| 11. | सुरश्रींगार |
| 12. | स्वराबत |
| 13. | स्वरमंडल |
| 14. | तंबूरा |
| 15. | तुंबी |
| 16. | तुनतुना |
| 17. | मगाधी वीणा |
| 18. | हंसवा वीणा |
| 19. | मोहन वीणा |
| 20. | नकुल वीणा |
| 21. | नन्दुनी |
| 22. | रूद्र वीणा |
| 23. | सरस्वती वीणा |
| 24. | विचित्र वीणा |
| 25. | येज |
| 26. | रंजन वीणा |
| 27. | त्रिवेणी वीणा |
| 28. | चिकारा |

| | |
|-----|---|
| 29. | दिलरूबा |
| 30. | एकतारा वायलीन |
| 31. | इसराज |
| 32. | कमायिचा |
| 33. | मयूरी वीणा या टाउस |
| 34. | ओनाविलू |
| 35. | बेहला (वाइलिन टाइप) |
| 36. | पीना और बाना |
| 37. | पलुवनवीना-एक तार वाले वायलिन |
| 38. | रावनाहाथा |
| 39. | लोक सारंगी |
| 40. | शास्त्रीय सारंगी |
| 41. | सारींडा |
| 42. | तार शहनाई |
| 43. | गीथू या झल्लारी |
| 44. | गब्बूबा या जामुकु-पक्कूशन स्टिंग इंस्ट्रूमेंट |
| 45. | पुल्लुवनकुतम |
| 46. | संतूर-हम्मार्ड कोर्ड वॉक्स |
| 47. | पेपा |
| 48. | पुंगी या बीन |
| 49. | भारतीय हारमोनियम डबल रीड |
| 50. | खुजाल |
| 51. | नादस्वरम |
| 52. | शहनाई |
| 53. | सुंदरी |
| 54. | तंगमुरी |
| 55. | अल्गोजा डबल बांसुरी |
| 56. | बांसुरी |
| 57. | वेणु (क्रनाटिक बांसुरी) पुलंगुझल |

| | |
|-----|------------------------------|
| 58. | मसक |
| 59. | तिती |
| 60. | श्रुतिपंगा |
| 61. | गोगोना |
| 62. | मोर्सिंग |
| 63. | श्रुति बॉक्स |
| 64. | हारमोनियम हाथ से पंप |
| 65. | इक्कलम |
| 66. | करनाल |
| 67. | रामसिंगा |
| 68. | काहल |
| 69. | नागफनी |
| 70. | तूरी |
| 71. | धाड |
| 72. | डमरू |
| 73. | डिमाडी |
| 74. | ढोल |
| 75. | ढोलक |
| 76. | ढोलकी |
| 77. | दुग्गी |
| 78. | घाटसिंधारी या गदसिंगारी |
| 79. | घुमोट |
| 80. | घुमेटा |
| 81. | कंजीरा |
| 82. | खोल |
| 83. | किंपर और धोपर (आदिवासी ड्रम) |
| 84. | माडली |
| 85. | माराम |

| | |
|------|---|
| 86. | मिजहवु |
| 87. | मृदंगम |
| 88. | पखावज |
| 89. | पखावजजोरी - तबला के समान सिख साधन |
| 90. | पंचमुखवाद्यम |
| 91. | पुंग |
| 92. | शुधमदलम या मददलम |
| 93. | तबला / टबल / चैमली - गॉबलेट ड्रम |
| 94. | तबला |
| 95. | तबलातरंग - तबलों का समूह |
| 96. | तामते |
| 97. | थानथीपानई |
| 98. | थिमिला |
| 99. | तंबक, तंबकनारी, तंबकनेर |
| 100. | डाफ, डफ, डैफ या डूफडीमडी या डिम्मी- जिंगल के बिना छोटा फ्रेम ड्रम |
| 101. | कांजीरा - एक जिंगल के साथ छोटा फ्रेम ड्रम |
| 102. | कांसी - जिंगल के बिना छोटा |
| 103. | पट्यनिथप्पु - हाथों से खेला जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम |
| 104. | चेन्दा |
| 105. | डोलु |
| 106. | ढक |
| 107. | ढोल |
| 108. | ढोली |
| 109. | इडाका |
| 110. | थाविल |
| 111. | उडुकई |
| 112. | चंडे |
| 113. | नागारा - केटस्लेड्रम्स की जोड़ी |

| | |
|------|--|
| 114. | पम्बाई - दो बेलनाकार ड्रम की इकाई |
| 115. | पैराथप्पु, हल्गी - फ्रेम ड्रम दो स्टिक्स के साथ खेला |
| 116. | संबल |
| 117. | स्टिक डफ या स्टिक डफ - लाठी के साथ खेला जाने वाला स्टैंड में डेफ |
| 118. | तमक |
| 119. | ताशा - केटस्लेड्रम का प्रकार |
| 120. | उर्मि |
| 121. | जलतरंग चिम्पता - पीतल के जिंगल के साथ आग टोंग |
| 122. | चेंगिल - धातु डिस्क |
| 123. | इलाथलम |
| 124. | गेजर - ब्रास पोट |
| 125. | घटम और मटकम (मिट्टी के बरतन बर्तन ड्रम) |
| 126. | घुंघरू |
| 127. | खरताल या चिप्पल्या |
| 128. | मनजीरा या झंज या ताल |
| 129. | नट - मिट्टी के बर्तन |
| 130. | संकरजंग - लिथोफोन |
| 131. | थाली - धातु प्लेट |
| 132. | थाकुकाझीमनाई |
| 133. | कंचतरंग, एक प्रकार की कांच वीणा |
| 134. | काष्ठतरंग, एक प्रकार का जाइलोफोन |

(घ) यह अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-28)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 192, एस०ओ० 191, दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-28)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

Notification No. 28/2017-State Tax (Rate)

S.O. 191, dated the 21st September 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No.2/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette vide S.O. No. 67 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,-

(A) in the Schedule,-

(i) against serial numbers 27, 29, 45, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 101 and 108, in column (3), for the words “other than put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “other than put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily, subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”, shall be substituted;

(ii) in Sl. No. 102, for the entries in column (2) ,the entries “2301,2302,2308,2309”, shall be substituted;

(iii) after Sl. No. 102 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

| | | |
|-------|------|-------------------------|
| “102A | 2306 | Cotton seed oil cake” ; |
|-------|------|-------------------------|

(iv) after Sl. No. 130 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

| | | |
|-------|-------------|---|
| “130A | 50 to 55 | Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries Commission(KVIC) and KVIC certified institutions/outlets” ; |
|-------|-------------|---|

(v) after Sl. No. 135 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

| | | |
|-------|----|-----------------------|
| “135A | 69 | Idols made of clay” ; |
|-------|----|-----------------------|

(vi) in Sl. No. 138, for the entry in column (3) ,the entry “Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha”, shall be substituted;

(vii) in Sl. No. 143, for the entry in column (3), the entry “Indigenous handmade musical instruments as listed in ANNEXURE II”, shall be substituted;

(viii) in Sl. No. 144, for the entry in column (3) ,the entry “Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles”, shall be substituted;

(B) in the *Explanation*, for clause (ii), the following shall be substituted, namely: -

“(ii)(a) The phrase “brand name” means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

(b) The phrase “registered brand name” means,-

(A) a brand registered as on the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;

(B) a brand registered as on the 15th May2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);

(C) a brand registered as on the 15th May2017 under any law for the time being in force in any other country.”;

(C) after paragraph 2, the following Annexures shall be inserted, namely: -

“ANNEXURE I

For foregoing an actionable claim or enforceable right on a brand name,-

(a) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bears a brand name shall file an affidavit to that effect with the **jurisdictional commissioner of State tax** that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and

(b) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bear a brand name shall, on each such unit containers, clearly print in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of the brand name as defined in Explanation (ii)(a)printed on the unit containers he has foregone his actionable claim or enforceable right voluntarily.

ANNEXURE II

| <u>List of indigenous handmade musical instruments</u> | |
|---|----------------------------------|
| 1. | Bulbul Tarang |
| 2. | Dotar, Dotora, or Dotara |
| 3. | Ektara |
| 4. | GetchuVadyam or Jhallari |
| 5. | Gopichand or Gopiyatra or Khamak |
| 6. | Gottuvadhyam or Chitravina |

| | |
|-----|--------------------|
| 7. | Katho |
| 8. | Sarod |
| 9. | Sitar |
| 10. | Surbahar |
| 11. | Surshringar |
| 12. | Swarabat |
| 13. | Swarmandal |
| 14. | Tambura |
| 15. | Tumbi |
| 16. | Tuntuna |
| 17. | MagadiVeena |
| 18. | Hansaveena |
| 19. | Mohan Veena |
| 20. | NakulaVeena |
| 21. | Nanduni |
| 22. | RudraVeena |
| 23. | SaraswatiVeena |
| 24. | VichitraVeena |
| 25. | Yazh |
| 26. | RanjanVeena |
| 27. | TriveniVeena |
| 28. | Chikara |
| 29. | Dilruba |
| 30. | Ektara violin |
| 31. | Esraj |
| 32. | Kamaicha |
| 33. | MayuriVina or Taus |
| 34. | Onavillu |

| | |
|-----|--|
| 35. | Behala(violin type) |
| 36. | Pena or Bana |
| 37. | Pulluvanveena - one stringed violin |
| 38. | Ravanahatha |
| 39. | Folk sarangi |
| 40. | Classical sarangi |
| 41. | Sarinda |
| 42. | Tar shehnai |
| 43. | Gethu or Jhallari |
| 44. | Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument |
| 45. | Pulluvankutam |
| 46. | Santoor - Hammered chord box |
| 47. | Pepa |
| 48. | Pungi or Been |
| 49. | Indian Harmonium: Double reed |
| 50. | Kuzhal |
| 51. | Nadaswaram |
| 52. | Shehnai |
| 53. | Sundari |
| 54. | Tangmuri |
| 55. | Alghoza - double flute |
| 56. | Bansuri |
| 57. | Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal |
| 58. | Mashak |
| 59. | Titti |
| 60. | Srutiupanga |
| 61. | Gogona |
| 62. | Morsing |

| | |
|-----|---|
| 63. | Shruti box |
| 64. | Harmonium (hand-pumped) |
| 65. | Ekkalam |
| 66. | Karnal |
| 67. | Ramsinga |
| 68. | Kahal |
| 69. | Nagphani |
| 70. | Turi |
| 71. | Dhad |
| 72. | Damru |
| 73. | Dimadi |
| 74. | Dhol |
| 75. | Dholak |
| 76. | Dholki |
| 77. | Duggi |
| 78. | Ghatsinghari or gadasingari |
| 79. | Ghumot |
| 80. | Gummeta |
| 81. | Kanjira |
| 82. | Khol |
| 83. | Kinpar and Dhopar (tribal drums) |
| 84. | Maddale |
| 85. | Maram |
| 86. | Mizhavu |
| 87. | Mridangam |
| 88. | Pakhavaj |
| 89. | Pakhavajjori - Sikh instrument similar to tabla |
| 90. | Panchamukhavadyam |

| | |
|------|---|
| 91. | Pung |
| 92. | Shuddhamadalam or Maddalam |
| 93. | Tabala / tabl / chameli - goblet drum |
| 94. | Tabla |
| 95. | Tablatarang - set of tablas |
| 96. | Tamte |
| 97. | ThanthiPanai |
| 98. | Thimila |
| 99. | Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer |
| 100. | Daff, duff, daf or dufDimdi or dimri - small frame drum without jingles |
| 101. | Kanjira - small frame drum with one jingle |
| 102. | Kansi - small without jingles |
| 103. | Patayanithappu - medium frame drum played with hands |
| 104. | Chenda |
| 105. | Dollu |
| 106. | Dhak |
| 107. | Dhol |
| 108. | Dholi |
| 109. | Idakka |
| 110. | Thavil |
| 111. | Udukai |
| 112. | Chande |
| 113. | Nagara - pair of kettledrums |
| 114. | Pambai - unit of two cylindrical drums |
| 115. | Paraihappu, halgi - frame drum played with two sticks |
| 116. | Sambal |
| 117. | Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks |
| 118. | Tamak' |

| | |
|------|--|
| 119. | Tasha - type of kettledrum |
| 120. | Urumee |
| 121. | Jaltarang Chimpta - fire tong with brass jingles |
| 122. | Chengila - metal disc |
| 123. | Elathalam |
| 124. | Geger - brass vessel |
| 125. | Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum) |
| 126. | Ghungroo |
| 127. | Khartal or Chiptya |
| 128. | Manjeera or jhanj or taal |
| 129. | Nut - clay pot |
| 130. | Sankarjang - lithophone |
| 131. | Thali - metal plate |
| 132. | Thattukazhimannai |
| 133. | Kanchtarang, a type of glass harp |
| 134. | Kashthatarang, a type of xylophone.”. |

(D). This notification shall come into force with effect from 22nd September, 2017
 [(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017—28)]
 By the order of Governor of Bihar,
 Sujata Chaturvedi,
 Commissioner-cum-Principal Secretary,
 Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 886-571+10-डी०टी०पी०।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>